फर्द अहकाम

यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर

अनीता शर्मा **बनाम** मीराशर्मा

कदमा संख्या /वर्ष : ______________ /20 ______

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	7/1/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। [signature] उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verifi
Digitally signed by Ekta K
Date: 2023.06.06 11:51:3
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 1/2021
दिनांक : ...17/01/2023...

1. श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री राहुल कुमार शर्मा उम्र 22 वर्ष जाति हरियाणा ब्राह्म्ण निवासी ग्राम हरचन्दपुरा बास देवलिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. मीरा शर्मा पत्नी श्री कृष्ण शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्म्ण निवासी ग्राम हरचन्दपुरा बास देवलिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत देवलिया पचायत समिति सांगानेर तह0 सांगानेर जिला जयपुर जरिये सरपंच/सचिव।
3. राजस्थान सरकार जरिये तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

4. गंगा देवी पत्नी बनवारी लाल शर्मा हरियाणा ब्राह्म्ण निवासी ग्राम हरचन्दपुरा बास देवलिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

अपीलान्ट की ओर से पेश अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम हचन्दपुरा बास देवलिया तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में से अपीलान्ट ने पूर्व खातेदार कन्हैयालाल पुत्र कालूराम, श्रीमती ग्यारसी पत्नी कालूराम, गिरिराज पुत्र मांगू, मदनलाल पुत्र मांगू, सीताराम पुत्र मांगू, हनुमान पुत्र नन्दा से उनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि में से उनके हिस्से 18/30 भाग में से 1/2 भाग यानि कुल 0.1020 हैक्टेयर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2019 को रजिस्टर्ड क्रमांक संख्या 201903135100831 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त पूर्व खादेतारों से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी उनके नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में से उनके हिस्से 18/30 का 1/2 भाग यानि कुल 0.1020 हैक्टेयर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2019 को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय पंत्र का पंजीयन कार्यालय बगरू जिला जयपुर जयपुर के यहां 22.08.2019 को रजिस्टर्ड क्रमांक संख्या 01903135100830 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त वि[illegible] रजिस्टर्ड संख्या 01903135100831 के आधार पर अपीलान्ट [illegible] नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्ट के नाम दर्ज नही कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया, जो कि अपीलान्ट के हक व अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य व बेअसर है एवं निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Kabra
Date: 2023.06.06 11:51:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत देवलिया पंचायत समिति सांगानेर जयपुर द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 577 दिनांक 17.09.2019 जो दिनांक 20.09.2019 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 6 के द्वारा स्वीकृत किया गया है, को अपास्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में निष्पादित अलग अलग दोनो विक्रय पत्रों के आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्करण तस्दीक करें।

अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 एवं 4 उपस्थित। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम हसन्दपुरा बास देवलिया तह० सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि मे से अपीलान्ट ने पूर्व खातेदार कन्हैयालाल पुत्र कालूराम, श्रीमती ग्यारसी पत्नी कालूराम, गिरिराज पुत्र मांगू, मदनलाल पुत्र मांगू, सीताराम पुत्र मांगू, हनुमान पुत्र नन्दा से उनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि में से उनके हिस्से 18/30 भाग मे से 1/2 भाग यानि कुल 0.1020 हैक्टेयर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2019 को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय बगरू जिला जयपुर के यहां 22/08/2019 को रजिस्टर्ड क्रमांक संख्या 201903135100831 पर पंजीबद्ध किया गया। इसी प्रकार पूर्व खादेतारों से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी उनके नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में से उनके हिस्से 18/30 का 1/2 भाग यानि कुल 0.1020 हैक्टेयर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2019 को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय बगरू जिला जयपुर जयपुर के यहां 22.08.2019 को रजिस्टर्ड क्रमांक संख्या 01903135100830 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त विक्रय पत्र रजिस्टर्ड संख्या 01903135100831 के आधार पर अपीलान्ट के नाम राजस्व भू–अभिलेखों में नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्ट के नाम दर्ज नही कर भूलवंश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है। अब अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य ग्राम के मौजीजा व्यक्तियों की समझाईश से राजीनामा हो गया है और अब अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य यह तय हुआ हे कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम हुये अलग अलग विक्रय पत्रों के आधार पर दोनो पक्षकारान् के नाम अलग अलग नामान्तकरण भरा लेगी। उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 577 दिनांक 17.09.2019 जो दिनांक 20.09.2019 को तस्दीक किया गया को दोनो पक्षकारान् आपसी सहमति से निरस्त करवाकर दोनो पक्षकारान् के नाम हुये अलग अलग विक्रय पत्र [illegible] पर नामान्तकरण दर्ज किया जाता है तो दोनो पक्षकारान् कोई आपत्ति व एतराज नही [illegible] राजीनामा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त [illegible] स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 577 दिनांक 17.09.2019 जो दिनांक 20.09.2019 को ग्राम पंचायत देवलिया द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम तस्दीक किया गया है जो निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में हुये दोनो अलग–अलग विक्रय पत्रो के आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम अलग–अलग नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.06.06 11:51:35 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील व राजीनामा में अंकित तथ्यों को दौहराया। रेस्पोडेन्ट वकील ने अपनी बहस में राजीनामे में अंकित तथ्यों को दौहराया गया है।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 13 वाके ग्राम हरचन्दपुरावास देवलिया, नकल नामा0 संख्या 577 दिनांक 20.09.2019 ग्राम पंचायत देवलिया व राजीनामा व विक्रय पत्रों का आधोपान्त अवलोकन करने व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस का मनन करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 201903135100830 दिनांक 28.08.2019 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 201903135100831 दिनांक 28.08.2019 से आराजी खसरा 625 रकबा 0.3400 हैक्टेयर में 18/30 हिस्सा का अपीलान्ट को 1/2 भाग यानि कुल रकबा 0.1020 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/2 भाग यानि कुल रकबा 0.1020 क्रय किया है। जबकि नामान्तकरण संख्या 577 दिनांक 20.09.2019 को ग्राम पंचायत देवलिया द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके की जॉच किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से सम्पूर्ण आराजी का नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया जबकि ग्राम पंचायत देवलिया को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में हुये दोनो अलग–अलग विक्रय पत्रों के आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम अलग–अलग नामान्तकरण दर्ज किये जाने चाहिये थे। नामान्तकरण संख्या 577 दिनांक 20.09.2019 ग्राम पंचायत देवलिया द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण दर्ज किया जो विधि सम्मत् नही है, जिसे हम निरस्त करना उचित समझते है।

अतः ग्राम पंचायत देवलिया का नामान्तकरण संख्या 577 दिनांक 20.09.2019 को खारिज किया जाता है। आदेश दिये जाते है कि अपीलान्ट के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 201903135100830 दिनांक 28.08.2019 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 201903135100831 दिनांक 28.08.2019 के अनुसार अलग–अलग नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाये।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2023 को खुले न्यायालय में सरेआम सुनाया गया।

(एकता काबरा)
[illegible]स.
[illegible]
जयपुर–[illegible] (सांगानेर),
[illegible]यपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Kalnani
Date: 2023.06.06 11:51:35 IST
Reason: SelfAttested